न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 16 / 2024(पुरानी—47 / 2015)
प्रविष्टि दिनांकः— 13.03.2024(पुरानी—20.04.2015)
निर्णय दिनांक :— 22.07.2024

::—उनवान—::

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल जाति महाजन नि0 बस स्टैण्ड एसबीबीजे बैंक के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर किराणा स्टोर बस स्टैण्ड एसबीबीजे बैंक के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी राज0।
2. मैसर्स महावीर किराणा स्टोर बस स्टैण्ड एसबीबीजे बैंक के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

— अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल उपस्थित।

::—निर्णय—:: दिनांकः **22.07.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.05.2014 को समय 02:30 पीएम पर मैसर्स महावीर किराणा स्टोर बस स्टैण्ड एसबीबीजे बैंक के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल नि0 बस स्टैण्ड एसबीबीजे बैंक के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले, मैदा, नमकीन—बिस्कट व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा तथा मौक पर खाद्य अनुज्ञा बिकी पत्र दिखाया।

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में 40 कार्टून में 250 एमएल पैक 40x24 नग (बोतल) पैक्ड अवस्था में **कार्बोनेट वाटर (मूमा ब्राण्ड)** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री महावीर

प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में 40 कार्टून में 250 एमएल पैक **40x24** नग (बोतल) पैक्ड अवस्था में **कार्बोनेट वाटर (मूमा ब्राण्ड)** के बैच नम्बर उललब्ध नहीं थे एवं पैकिंग की दिनांक अंकित नहीं थी को ज्यो का त्यो पैक्ड अवस्था में 250 एमएल की 48 बोतल वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल को रू 380/– अक्षरे तीन सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कार्बोनेट वाटर (मूमा ब्राण्ड)** की खरीदसुदा 48 प्रत्येक 250 एमएल पैक को 12–12 बोतल के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर **डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–712** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक कमलेश कुमार अग्रवाल तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–712 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने कारोबारकर्ता को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./14/03 दिनांक 10.09.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./832/एक्ट/2014/719 दिनांक 10.07.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **कार्बोनेट वाटर (मूमा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** एवं **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कार्बोनेट वाटर (मूमा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** एवं **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा **(ii)** के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.07.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी